

203

**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल**

कमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

**कार्यालय आदेश**


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों एवं संस्थानों के जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति, सम्मति नवीनीकरण, खतरनाक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण, जल उपकर निर्धारण एवं भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही ऑन लाईन की जा रही है। साथ ही साफ्टवेयर में ऑन लाईन रिटर्न भरने व रिकार्ड जमा करने की सुविधा है। उक्त कार्यवाही अन्तर्गत एकीकृत ऑन लाईन जानकारी का संधारण होने के कारण उद्योगों/संस्थानों द्वारा पृथक से भौतिक रूप में रजिस्टर के संधारण की आवश्यकता समाप्त की जाती है।

( ए० ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ०कमांक 1361(A) /स्था/प्रनिबो/2015  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 29/5/15

- 1 प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर Ease of doing business के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ। कृपया तदनुसार आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले उद्योगों/स्थानीय संस्थाओं को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
- 6 आईटी प्रभारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर ऑन लाईन साफ्टवेयर के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- 7 गार्ड फाईल।

  
( ए० ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव  
5